सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

17 भाद्र, 1937 (श०)

संख्या **656** राँची, मंगलवार

8 सितम्बर, 2015 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

7 सितम्बर, 2015

नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प

विषयः- केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रम **JnNURM** के घटक **Urban Infrastructure & Governance (UIG)** योजना के अन्तर्गत स्वीकृत राँची की सिवरेज एवं ड्रेनेज (जोन-**1)** योजना की स्वीकृत लागत राशि रू0- **30225.91** लाख की निविदा के विरूद्ध **18.55%** अधिक दर अर्थात् रू0- **35925.00** लाख पर कार्यादेश निर्गत करने एवं वर्द्धित राशि रू0- **5699.09** लाख का वहन वित्तीय वर्ष **2015-16** में राज्य सरकार द्वारा राज्य योजना मद से किए जाने पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में ।

संख्या-2/न0वि0 /UIG(S&D) 06/12--**3261**--नगर विकास विभाग 74वाँ संविधान संशोधन के आलोक में नागरिकों को मौलिक/बुनियादी सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु कृत संकल्प है। भारत सरकार द्वारा **JnNURM** मिशन के घटक **UIG** के अन्तर्गत राँची की सिवरेज एवं ड्रेनेज (जोन-**1)**

योजना की स्वीकृति दिनांक **21 जनवरी, 2014** को सम्पन्न केन्द्रीय स्वीकृति एवं अनुश्रवण समिति (**CSMC**) की **130**वीं बैठक में रू0- **30225.91** लाख की लागत राशि पर प्रदान की गई थी ।

(2) योजना की प्रशासनिक स्वीकृति परामर्शी परिषद् की दिनांक **05 मई, 2014** को सम्पन्न बैठक में कुल लागत राशि रू0- **30225.91** लाख पर प्रदान की गई है तथा विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0- **76** एवं **77** दिनांक **11 सितम्बर, 2014** द्वारा केन्द्रांश एवं राज्यांश (निकाय अंश सहित) के प्रथम किस्त की राशि कुल रू0 **75.56** करोड़ विमुक्त की गई है ।

(3) योजना कार्यान्वयन हेतु रांची नगर निगम के पत्रांक **983** दिनांक **21 मार्च, 2015** द्वारा ई-निविदा आमंत्रित की गई जिसमें चार एजेन्सियों द्वारा भाग लिया गया। रांची नगर निगम एवं विभाग स्तर पर निदेशक, नगरीय प्रशासन स्तर पर गठित निविदा समिति द्वारा दो निविदादाताओं क्रमशः (1**) M/s Jyoti Build Tech Pvt. Ltd. + M/s Vibhor Vaibhav Infra Pvt. Ltd. (JV) एवं (2) M/s. L & T Limited + M/s Ecco Protection Enginers Ltd. (JV)** को तकनीकी रूप से सक्षम पाया गया।

(4) दिनांक **10 जुलाई, 2015** को महापौर, रांची नगर निगम की अध्यक्षता में गठित रांची नगर निगम की **Procurement Committee** द्वारा उपर्युक्त दो निविदादाताओं द्वारा समर्पित वित्तीय प्रस्ताव को खोला गया तथा न्यूनतम निविदादाता **M/s Jyoti Build Tech Pvt. Ltd. + M/s Vibhor Vaibhav Infra Pvt. Ltd. (JV)** द्वारा उद्धृत दर **3592500465/-** (तीन सौ उनसठ करोड़ पच्चीस लाख चार सौ पैसठ रू0) को न्यूनतम पाया गया। यह दर योजना की मूल स्वीकृत राशि रू0 **30225.91** लाख से लगभग **18.85** प्रतिशत अधिक है।

(5) न्यूनतम निविदादाता **M/s Jyoti Build Tech Pvt. Ltd. + M/s Vibhor Vaibhav Infra Pvt. Ltd. (JV)** के चयन के पश्चात रांची नगर निगम के पत्रांक **459/Engg** दिनांक **10 जुलाई, 2015** द्वारा निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय, नगर विकास विभाग की अध्यक्षता में गठित निविदा समिति के समक्ष प्रस्ताव भेजते हुए कार्यादेश निर्गत करने की अनुमति मांगी गयी।

(6) निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय, नगर विकास विभाग की अध्यक्षता में गठित विभागीय निविदा समिति द्वारा दिनांक **10 जुलाई, 2015** को प्राप्त प्रस्ताव की समीक्षा की गयी तथा मूल योजना लागत में बढ़ोतरी से संबंधित आकलन तथा औचित्य पर सहमति व्यक्त की गयी। परन्तु न्यूनतम दर दाता **M/s Jyoti Build Tech Pvt. Ltd. + M/s Vibhor Vaibhav Infra Pvt. Ltd. (JV)** द्वारा उद्धृत दर निविदा राशि से **18.85** प्रतिशत अधिक होने के कारण इस पर सक्षम प्राधिकार से अनुमोदन कराने के पश्चात ही कार्यादेश निर्गत करने की अनुशंसा की गयी।

(7) उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में रांची की सिवरेज ड्रेनेज योजना (जोन-1) की मूल स्वीकृत येाजना राशि रू0 **30225.91** लाख की निविदा के विरूद्ध न्यूनतम निविदादाता **M/s Jyoti Build Tech Pvt. Ltd. + M/s Vibhor Vaibhav Infra Pvt. Ltd. (JV)** द्वारा उद्धृत दर **3592500465/**- (तीन सौ उनसठ करोड़

पच्चीस लाख चार सौ पैसठ रू0) पर कार्यादेश निर्गत करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। साथ ही **18.55%** अधिक दर पर कार्य आवंटन के फलस्वरूप होनेवाली वर्द्धित राशि रू0- **5699.09** लाख (छप्पन करोड़ निन्यानवे लाख नौ हजार) मात्र का वहन राज्य सरकार द्वारा राज्य योजना मद से किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(8) उक्त वर्द्धित राशि का वहन वित्तीय वर्ष **2015-16** में स्वीकृत नई राज्य योजना - वृहत शहरी परिवहन एवं नगरीय आधारभूत संरचना अन्तर्गत **TSP** प्रक्षेत्र हेतु बजट के अधीन निम्नांकित शीर्ष से किया जायेगा:-

मुख्य शीर्ष-**2217**- शहरी विकास उप मुख्य शीर्ष-80-सामान्य लघु शीर्ष-796 जनजातीय क्षेत्र उप योजना उप शीर्ष-**79** वृहत शहरी परिवहन एवं नगरीय आधारभूत संरचना विस्तृत शीर्ष - 06- अनुदान **79** सहायता अनुदान सामान्य -**48P221780796790679** ।

(9) पथ निर्माण विभाग द्वारा निर्मित / निर्माणाधीन ड्रेनेज योजनाओं से समन्वय स्थापित कर प्रस्तुत योजना का कार्य कराया जायेगा।

(10) उक्त पर राज्य मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक **1 सितम्बर, 2015** के मद संख्या 08 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है ।

आदेशः- यह आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड गजट के असाधारण अंक में जन सामान्य के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाए ।

झारखण्ड के राज्यपाल के आदेश से,
अरुण कुमार सिंह,
सरकार के प्रधान सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 656—50 ।